न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 136/2020 – निगरानी

1. मदनलाल आत्मज चुन्नी लाल माली निवासी केसरगंज की आबादी, बिजौलिया जिला भीलवाडा

बनाम

1. मोहनी बाई पत्नि चतुर्भुज माली निवासी केसरगंज की आबादी, बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत बिजौलिया जरिए सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बिजौलिया पंचायत समिति बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत बिजौलिया के निर्णय दिनांक 06.12.2019 जिसके तहत जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक10.12.2019

उपस्थित –

1. श्री राकेश जैन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री जय कुमार जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 ओर से

निर्णय

दिनांक 28.08.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत बिजौलिया ने विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जरिए मिसल संख्या 244/15.07.2019 से आवासीय जायदाद का सनद पट्टा संख्या 17/10.12.2019 नियमों के विपरीत जारी किया गया। बिजौलिया में 12+14/2X18 वर्गगज अर्थात 234 वर्ग गज अवस्थित है। उक्त आवासीय जायदाद के भूखण्ड का बापी पट्टा संख्या 111 ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जरिए पत्रावली संख्या 1 संवत् 2018 यानि 23/04/1961 से चुन्नीलाल पुत्र मुला माली के हक में जारी किया। अर्थात पंचायत द्वारा उक्त भूखण्ड सप्रतिफल चुन्नीलाल माली को विक्रय किया जो 23.02.1962 को प्रचलित किया गया। उक्त भूखण्ड पर चुन्नीलाल ने

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत जायदाद चुन्नीलाल के तन्हा स्वामित्व व आधिपत्य की जायदाद है, जो कि वादग्रस्त जायदाद है। चुन्नीलाल ने अपने जीवनकाल में ही भंवरलाल को अन्य जायदाद उनके हक–हिस्से के तौर पर प्रदत्त कर दी, जिसमें भंवरलाल निवासरत रहे एवं उनके देहांत बाद वारिसान निवासरत है। चुन्नीलाल के देहान्त पश्चात् भंवरलाल को अन्य जायदाद प्रदत्त कर दिए जाने के कारण उक्त वादग्रस्त जायदाद चतुर्भुज एवं निगराकार के संयुक्त हक हिस्से में रही, जिस पर निगराकार एवं चतुर्भुज का संयुक्त अधिकार व आधिपत्य चलता रहा। जो चुन्नीलाल के देहान्त उपरान्त 1/2 हिस्सा क्रमशः निगराकार व चतुर्भुज का हो गया। चतुर्भुज का देहान्त हो गया है, देहान्त बाद वारिसान विपक्षी सं 1 व राधाकृष्ण पुत्र हुए। विपक्षी संख्या 2 ने सम्पूर्ण वादग्रस्त जायदाद का पट्टा तन्हा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विधि विरूद्ध जारी कर दिया। जबकि उक्त वादग्रस्त जायदाद पैतृक होकर निगराकार का 1/2 हक–हिस्सा निहित है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 140 से 160 में अंकित प्रावधानों एवं औपचारिकताओं का पालन किए बिना विपक्षी सं 1 को अनुग्रहित करने के दुराशय से नियमों के विपरीत जाकर पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व कोई सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई एवं न ही आपत्तिपत्र सहज दृश्य स्थान पर चस्पा किया गया। विपक्षी संख्या 2 के द्वारा गठित कथित कमेटी द्वारा कोई मौका निरीक्षण नहीं किया गया। मात्र दिखावटी कागजी कार्यवाही कर दी गई। निवेदन है कि निगराकार की उक्त निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर पत्रावली संख्या 244 निर्णय दिनांक 06.12.2019 से जारी तथाकथित पट्टा संख्या 17/10.12.2019 को खारिज फरमाया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पत्रावली संख्या 244/15.07.2019 के तहत जारी आवासीय पट्टा सम्पूर्ण नियमों की पालना की जाकर जारी किया गया। निगरानी अनुसार एक आवासीय पटट्ा सम्वत 2018 दिनांक 23.04.1961 से चुन्नीलाल के नाम जारी किया गया हो, कतई गलत एवं बेबुनियाद है। तथाकथित आवासीय भूखण्ड भिन्न होकर 60 वर्षों पहले का कोई सिबूत व रकोर्ड निगराकार द्वारा न तो प्रस्तुत किया गया है, ऐसी सूरत में यह तय करना कि विपक्षी सं 1 के नाम जारी

अति. जिला कलक्टर

परीक्षण उपरांत यह जाहिर आया कि, निगराकार ने कोई भी ठोस एवं प्रमाणिक साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये हैं, जिससे यह जाहिर हो सके कि, पूर्व में चुन्नीलाल को इसी पटटा संख्या 17 के भूखण्ड पर ही पटटा जारी किया गया हो। निगराकार ने चुन्नीलाल के तथाकथित पटटे का 1/2 – 1/2 हिस्से का विभाजन होना बताया, किन्तु ऐसा कोई प्रमाणिक पंजीकृत दस्तावेज/हिस्सा बंटवारा भी पेश नही किया गया, जिससे जाहिर हो सके कि उक्त प्रश्नगत पटटा भूखण्ड पूर्व में चुन्नीलाल के नाम पर जारीशुदा हो।

मिसल पत्रावली के परीक्षण से जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत पटटे हेतु विपक्षी संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन किये जाने पर पत्रावली कायम की जाकर प्रस्ताव ग्राम पंचायत कोरम मे रखा गया। मिसल पत्रावली में आज्ञाओं की सूची, पुश्तैनी मकान का नक्शा आबादी भूमि में, आक्षेप आमंत्रित सूचना पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सभी दस्तावेज़ पंचायती राज नियमों के अनुसार संलग्न हैं। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। इस प्रकार निगराकार का कथन कि पंचायतीराज नियमों की अवहेलना की गयी, निराधार सिद्ध होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार गैर निगराकार 01 को जारी पटटे के संबंध में प्रस्तुत निगरानी में ठोस एवं प्रमाणिक साक्ष्य/दस्तावेज के अभाव में निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी विरूद्व पटटा संख्या 17 दिनांकित 10.12.2019 अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत बिजौलिया पंचायत समिति बिजौलिया को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा